

Office of the Principal Swami Vivekanand Govt College  
Susner Dist-Agar Malwa MP

Phone/Fax No. 07361-233449 Email ID hesvgcsusshg@mp.gov.in/guptagirish1211@gmail.com

Date: 29.04.2021

**CERTIFICATE**

This is certified that Scholarship and Educational incentive  
Paid/Sanctioned in Year 2016-17 are below-

SN	Name of Scheme	No. of Strength	Amount in Rs.
1	POSTMATRIC SCHOLARSHIP	302	1337650
2	GAON KI BETI	143	709500
3	TRANSPORT ALLOWANCE TO GIRLS	160	159500
4	VIKRAMADITYA SCHEME	11	17121
5	AAWAS SAHAYATA YOJNA	104	1242000

Enclosed -

1. Sanction Order

  
PRINCIPAL

प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (अगर-मालवा) म.प्र.

Office (Principal / Director / Dean)  
Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
जिला :- आगर मालवा

[Renewal Cases]



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1090446/

1/2 7

आगर मालवा, दिनांक :-30/01/2017

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार पविद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2016-17

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 101

कुल राशि (रुपये में)

:- 385119

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोक जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययनकौशल संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लेना प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रेषित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन :- उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,  
Susner  
Designation: Assistant Director

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
Designation: Assistant Director

Page 1/23



This Sanction is generated by MP Scholarship Portal. Printed on:-19/03/2021

प्राचार्य  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1099486/

आगर मालवा , दिनांक :-25/02/2017

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2016-17

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 2

कुल राशि (रुपये में )

:- 6940

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,  
Susner, Designation: Assistant Director

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
Designation: Assistant Director



प्राचार्य  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1099488/

आगर मालवा , दिनांक :-27/02/2017

**विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2016-17

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 7

कुल राशि (रुपये में )

:- 27205

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेष्टित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

(स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय)  
जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1090613/

आगर मालवा , दिनांक :-30/01/2017

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुखाद्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2016-17

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 87

कुल राशि (रुपये में )

: 317435

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण क्रक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो प्रमर्श नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,  
Susner, Designation: Assistant Director

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
Designation: Assistant Director

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

This Sanction is generated by MP Scholarship Portal. Printed on:-19/03/2021





स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1099483

आगर मालवा , दिनांक :-25/02/2017

**विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2016-17

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भता : 2700 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 2587

कुल : 5287

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत ), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,  
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator


Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 19/03/2021

**प्राचार्य**  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1090299

आगर मालवा, दिनांक :-23/01/2017

## विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

शैक्षणिक सत्र : 2016-17

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 40

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भता : 144000 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 100660

कुल : 244660

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator


Designation: District Co-Ordinator



Page 1/8

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 19/03/2021

प्राचार्य  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1090197

आगर मालवा , दिनांक :-21/01/2017

## विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2016-17

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 51

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 138000 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 138181

कुल : 276181

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/9

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 19/03/2021

**प्राचार्य**  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.





स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1090173

आगर मालवा , दिनांक :-21/01/2017

## विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2016-17

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 5

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 18000 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 13407  
कुल : 31407

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner


Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 19/03/2021

  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1090150

आगर मालवा , दिनांक :-21/01/2017

## विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी |

शैक्षणिक सत्र : 2016-17

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 8

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 21600 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 21816

कुल : 43416

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जायेगी |
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे |
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा | छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी |

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/4

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 19/03/2021

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर, जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

फोन/फैक्स-07361-233449 Email-hesvgcsusshg-mp@mp.gov.in/damkeda1955@gmail.com

क्र. /2016

सुसनेर दिनांक

कार्यालयीन आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2016-17 में अध्ययनरत् नवीन/नवीनीकरण अनुसूचित जाति की गाँव की बेटी योजना की छात्रवृत्ति संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत की जाकर उपकोषालय से आहरित कर संबंधित छात्राओ को भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

( डॉ. जी. सी. गुप्ता )

प्रभारी प्राचार्य  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

सुसनेर दिनांक

पृ. क्रं.  
प्रतिलिपि:-

1. उपकोषालय अधिकारी सुसनेर।

GOVT 76  
You  
Dated 2-12-16  
Paid & Cancelled

( डॉ. जी. सी. गुप्ता )

प्रभारी प्राचार्य  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर, जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

फोन/फेक्स-07361-233449 Email-hesvgcsusshg@mp.gov.in/guptagirish1211@gmail.com

क्रं. /2017

सुसनेर दिनांक

420  
18/17

कार्यालयीन आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2016-17 में अध्ययनरत् नवीन/नवीनीकरण सामान्य/पिछड़ा वर्ग की गाँव की बेटी योजना की छात्रवृत्ति संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत की जाकर राशि रुपये 669500/- (छ: लाख उनसत्तर हजार पाँच सौ रुपये ) उपकोषालय से आहरित कर संबंधित छात्राओं को भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

( डॉ. जी. सी. गुप्ता )  
प्रभारी प्राचार्य  
प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.  
सुसनेर दिनांक

पृ. क्रं.  
प्रतिलिपि:-

1. उपकोषालय अधिकारी सुसनेर।

420  
18/17

OK

GOVT 1991  
V. No. 19/17  
Date 19/17  
Paid & Cancelled

( डॉ. जी. सी. गुप्ता )  
प्रभारी प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय सुसनेर,  
जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

फोन/फैक्स-07361-233449 Email-hesvgcsusshg-mp@mp.gov.in/guptagirish1211@gmail.com

338  
5-12-16

A-5-12-16

कार्यालयीन आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2016-17 में अध्ययनरत नवीन/नवीनीकरण सामान्य/पिछड़ा वर्ग की छात्रा आवागमन सुविधा योजना की संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत की जाकर उपकोषालय से आहरित कर संबंधित छात्राओं को भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि:-

1. उपकोषालय अधिकारी सुसनेर।
2. लेखापाल शासकीय महाविद्यालय सुसनेर

( डॉ. जी. सी. गुप्ता )  
प्रभारी प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

5-12-16

GOVT  
You  
Date  
& Cancelled

( डॉ. जी. सी. गुप्ता )  
प्रभारी प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.


स/आपूर्ति प्रार्थना (वारी विवेकानंद शास्त्रालय मुसनेर)

क्रमांक ५५१/लेटर

दिनांक ५.२.१७

आपूर्ति - माहवा

महाविद्यालय में सद्यःपर्यन्त शून्यता सूची अनुसार वर्ष 2016-17 में नदीन/नदीनीकरण कार्य के विद्युत्कारिय प्रोजेक्ट के द्वारा की जायदादी शीट की जायदादी उपरोक्त प्रोजेक्ट में सद्यःपर्यन्त कल तक शीट 6 को जोड़-पौन के माहवा में जोड़ करे में काम बिने जाने की अनुमति प्राप्त की जाये (शिशिर 17/21=00 माहवा एक ही उम्मीद करते मात्र)

  
डा. जी. पी. गुप्ता  
प्राचार्य  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
मुसनेर जिला (अमर-मालवा) म.प्र.


प्रा. / लेटर


दिनांक

प्रतिक्रिया

(1) उपरोक्त सहायता प्रोजेक्ट बिना आग-मालवा के अन्तर्गत प्रेषित।

वस 32/8.2.17 011  
Paid & Cancelled  


  
डा. जी. पी. गुप्ता  
प्राचार्य  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
मुसनेर जिला (अमर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 101029 For Academic Year : 2016-17

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-27/02/2017

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./101029

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2016-17 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner


वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 92 कुल राशि (रुपयें में) : 1099000

प्रमाणित किया जाता है कि :-


1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम :-AGAR MALWA

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र



Sanction Order : 101018 For Academic Year : 2016-17

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-27/02/2017

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./101018

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)


आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2016-17 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner  
वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases  
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 12 कुल राशि (रुपयें में) : 143000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

  
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA  
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय  
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.